भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 826
(07 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में दूरगामी प्रभाव

826. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 14 दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार सरकार पर 18 राज्यों का 4,700 करोड़ रुपये की मजदूरी और 19 राज्यों का 5,450 करोड़ रुपये की सामग्री लागत बकाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सामग्री लागत में विलंब से कार्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है क्योंकि भुगतान में विलंब से आपूर्ति श्रृंखला टूट जाती है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि भुगतान में लंबे समय तक विलंब के कारण विक्रेता नई सामग्री की आपूर्ति करने के लिए अनिच्छुक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार इस कमी को पूरा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका तरीका क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क), (ख) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "स्वीकृत" श्रम बजट (एलबी) और वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए

प्रतिबद्ध है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता।

वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 (03.02.2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए 72813.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वेंडरों को सीधे कोई निधि जारी नहीं की जाती है।

****